

क्रि० मिस० केश नं०- 352/2018

15/12/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवधि एक वर्ष बीत चुकी है। उभय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित्त एवं संशोधित।

15/12/2020  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
गोड्डा।

15/12/2020  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
गोड्डा।